/

मध्यप्रदेश शासन

वित्त विभाग

वल्लभ भवन-मंत्रालय-भोपाल

क्रमांक : एफ 9-10/2014/नियम/चार भोपाल, दिनांक 25 अक्टूबर, 2019

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश ।

विषय- राज्य शासन के पेंशनरों/परिवार पेंशनरों के लिए डिजीटल जीवन प्रमाण-पत्र (Digital Life Certificate) की व्यवस्था लागू किया जाना ।

संदर्भ- वित्त विभाग का परिपत्र क्रमांक एफ 9-10/2014/नियम/चार, दिनांक 29-11-2014.

-◆-

यह अनुभव किया गया है कि संदर्भित परिपत्र द्वारा पेंशनर्स/परिवार पेंशनर्स को डिजीटल जीवन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने की जारी सुविधा का उपयोग व्यापक रूप से नहीं हो पा रहा है ।

2/ उपर्युक्त सुविधाजनक प्रक्रिया की राज्य के पेंशनर/परिवार पेंशनर को जानकारी पुनः उपलब्ध कराने को दृष्टिगत रखते हुए निर्देश पुनः उद्धघृत है :-

(अ) डिजीटल जीवन प्रमाण-पत्र (Digital Life Certificate) को वेबसाईट www.jeevanpramaan.gov.in से संबंधित एप्लीकेशन एन्ड्रायड टैब/स्मार्टफोन/विन्डोज कम्प्यूटर पर डाउनलोड कर जनरेट (Generate) किया जाए । पेंशनर्स/परिवार पेंशनर्स, फिगंर प्रिंट स्केनर/आईरिस स्केनर (Finger Print Scanner/Iris Scanner) को एन्ड्रायड टैब/स्मार्टफोन/विन्डोंज कम्प्यूटर के यूएसबी (USB) पर प्लग-इन (plug-in) कर स्वंय का आधार नंबर, बैंक खाता नंबर तथा मोबाईल अथवा दूरभाष नंबर दर्ज कर स्वंय को पंजीकृत कर रियल टाईम (Real Time) में "बायोमेट्रिक औथेंटिकेशन" स्वयं कर सकेगें ।

(ब) उपरवर्णित वेबसाईट पर जाकर लोकेट सेन्टर (Locate Center) के माध्यम से अपने निकटतम CSC (Common Service Centre) या बैंक शाखा जहाँ स्केनर की सुविधा उपलब्ध हो, से भी "बायोमेट्रिक औथेंटिकेशन" कर सकेगें ।

3/ डिजीटल जीवन प्रमाण-पत्र (Digital Life Certificate) जनरेट करने की कार्यवाही सफलतापूर्वक पूर्ण होने पर उनके मोबाईल नम्बर पर SMS द्वारा ट्रांजेक्शन आईडी प्राप्त होगी । इसके आधार पर कम्प्यूटर जनरेटेड डिजीटल जीवन प्रमाण-पत्र www.jeevanpramaan.gov.in वेबसाईट से प्राप्त होगा।

4/ यदि कोई पेंशनर/परिवार पेंशनर सिस्टम में पूर्व से ही पंजीकृत है तो ऐसी स्थिति में आगामी वर्ष के नवम्बर माह में डिजीटल जीवन प्रमाण-पत्र (Digital Life Certificate) "बायोमेट्रिक औथेंटिकेशन" करने पर संबंधित बैंक के रिकार्ड में स्वंयमेव अपडेट हो जायेगा ।

5/ पेंशनर/परिवार पेंशनर, संबंधित बैंक शाखा को डिजीटल जीवन प्रमाण-पत्र (Digital Life Certificate) के संबंध में निम्नलिखित विधियों से अवगत करा सकेगें (बैंक शाखा भी संबंधित पेंशनर/परिवार पेंशनर की डिजीटल जीवन प्रमाण-पत्र संबंधी जानकारी प्राप्त कर सकेगें):-

(अ) बैंक शाखायें www.jeevanpramaan.gov.in पर लॉगिन कर पेंशनर/परिवार पेंशनर के जीवन प्रमाण पत्र को उसके द्वारा दिए गए आधार नंम्बर, बैंक खाता नम्बर तथा ट्रांजेक्शन आईडी के आधार पर प्राप्त कर सकेगें ।

(ब) कोर बैंकिग सिस्टम के अंतर्गत बैंकों द्वारा डिजीटल लाईफ रजिस्ट्रेशन डिपॉजिटरी से स्वयंमेव संबंधित पेंशनर्स/परिवार पेंशनर्स के डिजीटल जीवन प्रमाण पत्र (Digital Life Certificate) प्राप्त कर, पेंशनर/परिवार पेंशन की जीवित होने की स्थिति को अद्यतन किया जा सकेगा ।

(स) पेंशनर्स/परिवार पेंशनर्स संबंधित बैंक शाखा को डिजीटल जीवन प्रमाण पत्र (Digital Life Certificate) ई-मेल के माध्यम से अथवा SMS के माध्यम से बैंक शाखा को भेज सकेगें । बैंक शाखा प्राप्त लिंक के द्वारा डिजीटल जीवन प्रमाण पत्र (Digital Life Certificate) डाउनलोड कर सकेगी ।

6/ ऐसे पेंशनर्स/परिवार पेंशनर्स जो कि www.jeevanpramaan.gov.in में पंजीकृत हैं, उन्हें SMS के द्वारा प्रति वर्ष निर्धारित तिथि को डिजीटल जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने हेतु स्मरण कराया जाएगा।

7/ इस नवीन व्यवस्था से संबंधित किसी भी प्रक्रियात्मक जानकारी हेतु वेबसाईट www.jeevanpramaan.gov.in पर लॉग-इन कर अथवा संचालनालय पेंशन, भविष्य निधि एवं बीमा म.प्र. से संपर्क किया जा सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(अजय चौबे)
उप सचिव
म.प्र. शासन, वित्त विभाग

पृष्ठा.क्रमांक : एफ 9-10/2014/नियम/चार भोपाल, दिनांक 25 अक्टूबर, 2019

प्रतिलिपिः-

1. राज्यपाल के सचिव, मध्यप्रदेश राजभवन भोपाल
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश, विधानसभा, भोपाल
3. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल
4. रजिस्ट्रार जनरल मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय जबलपुर
5. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल
6. आयुक्त, कोष एवं लेखा, म.प्र. भोपाल ।
7. संचालक, पेंशन भविष्य निधि एवं बीमा म.प्र. भोपाल ।
8. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश भोपाल/इंदौर/ग्वालियर ।
9. आयुक्त, जनसम्पर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल
10. मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर मंत्रालय, भोपाल
11. संचालक, जनसंपर्क प्रकोष्ठ, मंत्रालय, भोपाल
12. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति मंत्रालय, भोपाल
13. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन / संघों
14. गार्ड फाईल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिये अग्रेषित ।

(अजय चौबे)
उप सचिव
म.प्र.शासन, वित्त विभाग